



65

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
निः - २९/१९ - १६

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण / 2016 जिला-सिवनी

- 1- डिल्लीसिंह पिता स्व. श्री श्यामसिंह
 - 2- संतोष पिता श्यामसिंह परधान
निवासीगण बीझावाड़ा तहसील व जिला सिवनी
 - 3- शकुनबाई पल्लि छोटेलाल
निवासी बीझावाड़ा तहसील व जिला सिवनी
- आवेदक

विरुद्ध

मोप्र० शासन द्वारा
कलेक्टर जिला सिवनी मोप्र०

----- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जिला सिवनी द्वारा प्रकरण क्रमांक
28/अ-21/14-15 में पारित आदेश दिनांक 13-8-15 के
(३५०) विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नानुक्रम निवेदन है कि :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपारत किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक क्रमांक - 1 डिल्लीसिंह द्वारा ग्राम बीझावाड़ा प.ह. नं. 97 रा.नि.म. सिवनी भाग दो स्थित भूमि खसरा नं. 32 रकबा 0.81 हैक्टर जो आवेदकगण के पिता श्यामसिंह को वर्ष 1976-77 में पट्टे पर प्राप्त हुई थी को विक्य किए जाने की अनुमति दिए किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसे जिलाध्यक्ष द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि आवेदकगण यह प्रमाणित नहीं कर सके हैं कि उन्हें बीमारी हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा आवेदक इलाज कराए जाने हेतु शासकीय पट्टे की भूमि को बैंक में रहन कर केससीसी लोन ले सकता है। कलेक्टर का उक्त आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से निरस्ती योग्य है।
3. यहकि, आवेदक को भूमि का पट्टा वर्ष 1976-77 में दिया गया था। आवेदक को उक्त भूमि पर भूमिरखामी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। संहिता की धारा 158 (3) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर अंतरित न किए जाने का प्रावधान है, जबकि आवेदक द्वारा 37 वर्ष से अधिक समय उपरांत आवेदन दिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि के विक्य हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं थी फिर भी आवेदक द्वारा सावधानी के

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 2919-एक/16

जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आवेदकों द्वारा कलेक्टर, जिला सिवनी के प्रकरण क्रमांक 28/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 13.08.2015 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण का सारांश यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक डिल्लीसिंह द्वारा ग्राम बीझावाड़ा प0ह0नं0 97 रा0नि0मं0 सिवनी भाग-2 स्थित भूमिस्वामी शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि खसरा नं0 32 एकड़ा 0.810 जो कि उनके पिता श्यामसिंह को वर्ष 1976-77 में आवंटित की गई थी को विक्रय किए जाने की अनुमति हेतु आवेदन दिया गया। आवेदन में यह भी लेख किया गया कि विक्रय में उसके भाई एवं बहन भी सहमत हैं अतः उन्हें उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर उक्त आवेदन अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अबू. अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अबू. अधिकारी को भेजा। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए भूमि विक्रय की अनुमति हेतु प्रकरण कलेक्टर को प्रेषित किया। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया है। कलेक्टर के आदेश के संबंध में आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के प्रतिवेदनों को अनदेखा किया है तहसीलदार ने जो प्रतिवेदन जांच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी</p>	<p>पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर</p>

b/m

(M)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षका अभिभाव हस्ताक्षर
	<p>माध्यम से जिलाध्यक्ष को प्रेषित किया गया है। उनमें स्पष्ट किया गया है कि आवेदक को उचित प्रतिफल मिल रहा है, आवेदक पर कोई दबाव नहीं है तथा आवेदक अन्य स्थान पर भूमि कर्य करेगा, आवेदक द्वारा बीमारी के पर्चे इत्यादि जिलाध्यक्ष के समक्ष पेश करते हुए निवेदन किया गया कि था वह विकर्य से प्राप्त राशि से अपना एवं अपनी पत्नी का इलाज करायेगा तथा शेष बचती राशि से वह अपने पुत्रों को रोजगार के साधन बनाने एवं लगभग 1.00 भूमि कर्य करेगा किंतु इसके उपरांत भी जिलाध्यक्ष द्वारा प्रकरण में व्यायिक रूप से विचार न कर आवेदक का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की गई है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक ने जिन व्यक्तियों को भूमि विकर्य करने एवं कर्य करने का अनुबंध किया था वे अब भूमि कर्य नहीं कर रहे हैं और न आवेदक को विकर्य कर रहे हैं। इस कारण आवेदक अब अन्य वैराग्यी केता को भूमि विकर्य करना चाहता है तथा अन्य व्यक्ति से भूमि कर्य करना चाहता है। यह भी कहा गया कि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है और पेंशन से उसके परिवार का जीवन यापन हो रहा है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक को आवेदित भूमि को विकर्य किए जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>3/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अवधि बाह्य है अतः इसी आधार पर निरस्त की जाये। यह भी कहा गया कि जिलाध्यक्ष ने आवेदक के आवेदन को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। शासन की अनेक ऐसी योजनायें हैं जिनके तहत आवेदक अपना एवं अपनी पत्नि का इलाज करा सकता है।</p> <p>4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह प्रकरण भूमि विकर्य की अनुमति दिए जाने के संबंध में है। प्रकरण में कलेक्टर, सिवनी द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विकर्य</p>	

JK

(W)

आदि विलङ्घ मरै
पश्चात् अधिभाषकों
हस्ताक्षर

-4-

डिल्लीसिंह आदि विलङ्घ म०प्र० शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ब्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग० 2919-एक/16

जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पश्चात् एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>के आवेदन को आदेश दिनांक 13-8-15 द्वारा निरस्त किया गया है। आवेदक ने इस आदेश के विलङ्घ इस व्यायालय में निगरानी दिनांक 30-8-16 को प्रस्तुत की है, जो विलंब से प्रस्तुत है। विलंब के संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताए गए कारण समाधानकारक होने से विलंब क्षमा किए जाने में किसी प्रकार की अङ्गत नहीं आती है। अतः विलंब क्षमा किया जाता है।</p> <p>5/ जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा आवेदकों के पिता श्यामसिंह को 1976-77 में दिया गया था, जिस पर उसे उसे विधि के प्रभाव से भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। पट्टाधारी श्यामसिंह की मृत्यु के उपरांत आवेदकों का वारिसाना नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि पर किया गया है। संहिता की धारा 158 (3) के प्रावधानों के अनुसार पट्टे या आवंटन की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर अंतरित न किए जाने का प्रावधान है, जबकि आवेदक द्वारा 37 वर्ष से अधिक समय उपरांत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिलाध्यक्ष के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किये गये हैं उन पर व्यायिक रूप से विचार नहीं किया गया है क्योंकि भूमिस्वामी को परिस्थितियों के अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने से इकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में आवेदकों की ओर से बताए गए कारणों को देखते हुए उन्हें भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने में कोई वैधानिक अङ्गत नहीं है। विक्रय की अनुमति के प्रकरणों में मुख्य रूप से यह देखना होता है कि विकेता को भूमि का वास्तविक मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं तथा उसके साथ कोई</p>	<p>P/Ax</p>

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

छलकपट तो नहीं हो रहा है। इस प्रकरण में तहसीलदार ने जांच उपरांत जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किसी दबाव वश या प्रलोभन वश नहीं किया जा रहा है। यह भी लेख किया गया है कि आवेदक डिल्लीसिंह सेवानिवृत्त कर्मचारी है और आवेदक क्रमांक 2 एवं 3 द्वारा भी भूमि विक्रय पर सहमति दी गई है। कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण में आए तथ्यों पर न्यायिक रूप से विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है जबकि जो आधार आवेदकों की ओर से भूमि विक्रय हेतु दिए गए हैं उनको देखते हुए आवेदकों को भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अङ्गुलियां नहीं थीं। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश औचित्यपूर्ण एवं न्यायसंगत न होने से दिवार दखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा कलेक्टर, सिवनी द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाता है एवं आवेदकों को ग्राम बीज्ञावाड़ा प0ह0नं0 97 रा0नि0मं0 सिवनी भाग-2 दिथत शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि खसरा नं0 32 रकबा 0.810 को गैर आदिवासी को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

- 1- प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2016-17 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।
- 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।
- 3- उप पंजीयक द्वारा विक्रयपत्र का पंजीयन, पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाइन की मान से किया जायेगा।

*राम**मान*

ग क्रमांक

तथा

डिल्लीसिंह आदि विरुद्ध म0प्र0 शासन

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 2919-एक/16

जिला - सिवनी

स्थान तथा दिनांक	वार्यवाही तथा आदेश	पक्कार्ये एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>4- भूमि के विकायपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में कराना अनिवार्य होगा।</p> <p><i>(राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर)</i></p>	